राजस्थान सरकार (प्रपत्र - 8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प देवास

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी देवास व भू.अ.नि. दांतारा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जालेऊ तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 62 नया में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रसं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जालेऊ रहन व अन्य प्रविष्टि यथावत	62	समस्त खातेदारान जाति - चमार	समस्त खातेदारान जाति मेघवाल

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :- 2641
प्रतिलिपि:- 14.6.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

Entered 98 14.6.18 9c 23/7/18